वारदात | गोहलपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात

पिस्टल से गोली नहीं लगी तो चीप, चाकू से किया जानलेवा हमला

रंजिश भुनाने युवक के अपहरण का प्रयास

नवभारत, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में रंजिश भुनाने पांच बदमाशों ने एक युवक का अपहरण करने का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या करने की नीयत से पिस्टल से कई राउंड फायर किया। जब हमलावरों ने देखा कि गोली युवक को नहीं लगी है तो फिर उसके बाद बदमाशों ने चाकू चीप, पत्थर से हमला कर दिया जिससे युवक को गंभीर चोटें आईं हैं। हमले के बाद सभी हमलावर युवक को लहूलुहान अवस्था में सारा सिटी के पास सामने छोड़कर भाग निकले। जानकारी के अनुसार सावन के महीने में निखिल रजक का रंजीत चौधरी व अन्य के साथ विवाद हुआ था जिसका बदला लेने ये वारदात घटित की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर हमलावरों के खिलाफ धारा 109(1), 140(1), 191(2), 191(3), बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया है।

हमले में घायल निखिल रजक ने गोहलपुर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह फर्नीचर का काम करता है। बीती रात वह अपने दोस्त हर्ष पटेल, सांई केवट के साथ कुदवारी से गोहलपुर की तरफ मोटर सायकिल से लस्सी पीने जा रहे थे, हर्ष पटेल मोटर सायकिल चला रहा था वह सबसे पीछे बैठा था। रात 11 बजे संस्कार परिसर के सामने अण्डा ठेला के पास पहुचे तभी एक मोटर सायकिल व स्कूटी से 5 लड़के रंजीत चौधरी , अखिल कश्यप दोनो निवासी बाबाटोला, लक्की चौधरी निवासी रद्दी चौकी, करण ठाकुर निवासी शनि मंदिर के पास अधारताल एवं भग्गू उर्फ मोहित चौधरी निवासी अमखेरा के मिले और इस दौरान रंजीत चौधरी ने उसे जान से मारने के लिये पिस्टल से 2 राउंड फायर किया। पिस्टल देखते ही वह जान बचाकर गाड़ी से कूद गया और छिपने का प्रयास करने लगा इसके बाद भी रंजीत ने कुलिया में दो बार फायर फिर से किया और जब गोली नहीं लगी तो पांचों बदमाशों ने चीप, पत्थर, चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है।

विधि अधिकारियों की नियुक्तियों के मामले में जवाब पेश करने अंतिम अवसर

नियम का पालन नहीं किये जाने को दी गयी थी चुनौती

जबलपुर। महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में नियम का पालन नही किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस आर सी एस विसेन की युगलपीठ ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून निर्धारित की गयी है।

मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महाधिवक्ता कार्यालय में कुल 157 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर 25 दिसंबर को सूची जारी की गई है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और पक्षपातपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन महाधिवक्ता कार्यालय ने उसका स्पष्ट उल्लंघन किया।

अधिसूचना में कहा गया था कि सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की प्रेक्टिस की योग्यता निर्धारित है। इसके उलट कई शासकीय अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी प्रेक्टिस 10 साल से बहुत कम है। यह दलील भी दी गई कि एक पद पर नियुक्ति के लिए तीन नाम भेजने का प्रावधान था। इसके उलट विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं बताई गई थी। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मांग की गई कि पूरी सूची निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाये। याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने जवाब पेश करने अंतिम अवसर प्रदान किया है।

राजस्थान की महिला के साथ जबलपुर जैन तीर्थ स्थल पर लूट का प्रयास

गढ़ा क्षेत्र का मामला, आरोपी की तलाश में पुलिस

जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पिसनहारी की मढ़िया जैन तीर्थ धर्मशाला में रविवार रात राजस्थान के जयपुर से आई एक महिला के साथ छेड़छाड़ और लूट का प्रयास किया गया, आरोपी महिला के बच्चे को धमकी देकर फरार हो गया।

जानकारी अनुसार महिला अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए जैन तीर्थ स्थल पहुंची थी। रात के समय वह बच्चों को वॉशरूम ले गई, जहां पहले से एक युवक छिपा हुआ था। वापसी के दौरान आरोपी अचानक सामने आ गया और चाकू दिखाकर महिला से छेड़छाड़ व लूट की कोशिश करने लगा। आरोपी ने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जोर से शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। भीड़ को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गया।

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ संदिग्ध

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें आरोपी कैद हुआ है। इस घटना ने धर्मशाला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय कोई भी सुरक्षा गार्ड मौके पर मौजूद नहीं था। गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है।

लगुन में गया परिवार घर में हो गई चोरी

नवभारत, जबलपुर। पाटन थानांतर्गत रूबी पटैल के घर में चोरों ने उस वक्त चोरी कर ली जब वह अपने परिवार के साथ लगुन कार्यक्रम में जबलपुर गए थे। चोरों ने इस दौरान अलमारी मे रखे नगद 15 हजार रूपये चांदी की 2 जोड़ी पायल तथा सोने की नाक की नथ चोरी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध कायम कर प्रकरण जांच में लिया है।

जबलपुर को सौंपा गया कर्मचारी की सेवामुक्ति का मामला

उप श्रमायुक्त ने जारी किया आदेश

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश शासन के श्रम आयुक्त कार्यालय, इन्दौर द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के औद्योगिक विवाद को अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय, जबलपुर को सौंप दिया गया है। यह आदेश उप श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

मामला आवेदक विजय कुमार दीक्षित पिता सुंदरलाल दीक्षित, निवासी ग्राम बामनदेही, जिला सिवनी से जुड़ा हुआ है। श्री दीक्षित की सेवामुक्ति को लेकर नियोजक पक्षों के साथ लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इस मामले में उपसंचालक एवं कार्यालय प्रमुख राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी, तथा कार्यालय वन विस्तार इकाई, सामाजिक वानिकी वृत्त सिवनी को अनावेदक बनाया गया है। इन सभी पक्षों के बीच उपजे इस विवाद को सुलझाने के लिए अब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

उप श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर द्वारा जारी आदेश के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को 'स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स' तथा अन्य सभी जरूरी अभिलेखों के साथ श्रम न्यायालय, जबलपुर को आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

आगामी कार्यवाही के लिये पत्र प्रेषित

उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत अब पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर मुख्य रूप से इस बात की जांच और सुनवाई करेंगे कि क्या नियोजक द्वारा विजय कुमार दीक्षित को सेवा से पृथक किया जाना पूरी तरह वैध और उचित है। यदि न्यायालय की सुनवाई में यह सेवापृथक्करण अनुचित पाया जाता है, तो यह भी तय किया जाएगा कि आवेदक किस सहायता या राहत का हकदार है और इस संबंध में संबंधित नियोजक को क्या आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए।

एक नजर में

पर्यावरण दिवस के अंतर्गत यात्रियों को किया जागरूक

जबलपुर, नवभारत। आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल द्वारा 15 मई से 05 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु विशेष जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में जबलपुर, कटनी, नई कटनी जंक्शन, सतना, रीवा, दमोह, पिपरिया सहित मंडल के अन्य स्टेशनों पर यात्रियों को कचरे के पृथक्करण एवं उसके उचित निष्पादन के प्रति जागरूक करने हेतु पम्पलेट्स वितरित किए गए। अभियान के माध्यम से यात्रियों को सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग रखने, स्वच्छ स्टेशन बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया।

सूने घर पर चोरों का धावा, गोरखपुर की रामपुर कालोनी में वारदात

जबलपुर। गोरखपुर थानातंर्गत रामपुर की एनएफडी गौंर्ड कालोनी के एक सूने घर पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर जेवर, नगदी और कीमती समान पार कर दिया। जिस वक्त वारदात हुई, उस वक्त पीड़ित सपरिवार अपनी ससुराल सिवनी गया हुआ था। पुलिस ने बताया कि एनएफडी गॉर्ड कालोनी निवासी 29 वर्षीय अंकित कुमार साहू एमपीईबी में नौकरी करता है। 16 मई की रात वह अपनी ससुराल नागनदेवरी जिला सिवनी गया हुआ था। बीती रात उनकी पड़ोसी पूजा सिंह ने घर का ताला टूटे होने की जानकारी दी। जब वह अपने घर वापस पहुंचा तो देखा कि घर का ताला टूटा था।अंदर सामान बिखरा पड़ा था। घर में रखी आलमारी जिसमें सोने की अंगूठी, बाली, टीव्ही, नगदी 10 हजार रूपये, 1 एण्ड्रायड मोबाइल, 1 कीपेड, लेपटाप, 2 हाथ घड़ी चांदी की सिक्का नहीं थे। जिसे कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर चुरा ले गया। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

विधायक ने प्रशिक्षण वर्ग में रखे विचार

नवभारत, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर प्रशिक्षण वर्ग में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने 'कार्यकर्ता विकास संभाल और अपेक्षाएं' विषय पर वक्ता के रूप में विचार रखे और संवाद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं , कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

आश्रम के लिये जमीन दिलाने के बहाने बीस लाख हड़पे

जालसाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जबलपुर। जालसाज ने साध्वी को आश्रम के रजिस्ट्रेशन व उसके लिये जमीन दिलाने का झांसा देकर बीस लाख रुपये हड़प लिये। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक साध्वी 50 वर्षीय आत्म निष्ठा उर्फ लता सिंह ठाकुर निवासी मन्नू अस्पताल के समीप कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ वर्ष पहले उनकी जान पहचान परविंद गुजराल उर्फ मोंटी से हुई थी, जो कि नियमित गौमुख आश्रम आता था। जिसने उन्हें खुद को प्रापर्टी डीलर व राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तियों से अच्छी जान पहचान होने का झांसा दिया था। जिस पर उन्होंने अपने आश्रम के लिये परविंदर से दो से तीन एकड़ जमीन दिखाने के लिये कहा। जिस पर परविंदर ने उन्हें बरेला वायपास के पास तीन एकड़ जमीन दिखाई और उक्त जमीन खुद की होना बताते हुए दस लाख रुपये एकड़ के हिसाब से बेचना बताया। जिसके बाद बीस लाख रुपये नगद व शेष दस लाख रुपये पंजीयन बैनामा के समय देना तय हुआ। जब पीड़िता ने जमीन का बैनामा करने की बात की तो आरोपी परविंदर टालमटोली करने लगा। जब पतासाजी की गई तो जानकरी लगी कि उक्त जमीन किसी किसान की है, जो कि परविंदर को जानता ही नहीं है। किसान के द्वारा बताया गया था कि मैं किसी मोंटी गुजराल को नही जानता हूं उक्त भूमि किसी मोंटी गुजराल की नही है। तबसे आज तक ना जमीन का पता है ना ही रजिस्ट्रेशन का पता है। जब हमने पैसो को वापस मांगा तो मोंटी गुजराल टाल मटोल शुरू कर दी। जब उन्होंने पैसे देने का दवाब बनाया तो मोंटी बोला कि अभी मेरे पास पैसे नही हैं। जो पैसे आपने दिये थे उसके बदले में, मैं आपके परिचितों के गन लायसेंस करा दूंगा, इसके बाद मोंटी दोबारा नही मिला। इतना ही नहीं उसने अपना फोन भी बंद कर लिया, मोंटी ने धोखाधडी करते हुये 20 लाख रूपये हड़प लिये है।

744 करोड़ का ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल में वाणिज्य परिचालन विभाग के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2026 माह में रूपये 744 करोड़ 13 लाख का कुल प्राम्भिक राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी माह (रूपये 739 करोड़ 84 लाख) कि तुलना में अधिक है। जिसमें यात्री यातायात से रुपये 220 करोड़ 06 लाख, माल यातायात से रुपये 480 करोड़ 82 लाख, अन्य कोचिंग मद में रुपये 15 करोड़ 31 लाख एवं विविध आय यानि संड्री से रुपये 27 करोड 94 लाख का रेलवे ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू शामिल है। मण्डल के अनुसार बात करे तो अप्रैल 2026 माह में जबलपुर मण्डल ने रूपये 439 करोड़ 93 लाख, भोपाल मण्डल ने 173 करोड़ 91 लाख एवं कोटा मण्डल ने रूपये 130 करोड़ 29 लाख का कुल ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया है।

दिनदहाड़े झपट्टा मारकर युवक का मोबाईल लूट ले गये बदमाश

घमापुर के शीतलामाई मंदिर क्षेत्र के समीप वारदात

जबलपुर। घमापुर थानातंर्गत शीतलामाई मंदिर के समीप एक्सिस सवार दो बदमाश एक युवक को झपट्टा मारकर उसका कीमती मोबाईल ले उड़े। दिनदहाड़े हुई उक्त वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि अच्छे मियां का बाड़ा निवासी 27 वर्षीय प्रकाश राजपूत महाधिवक्ता कार्यालय में काम करता है। बीते दिवस दोपहर ढाई बजे वह अपने घर से किराना का सामान लेने शीतलामाई मंदिर की ओर जा रहा था। उसी समय उसके मोबाईल पर फोन आया, जैसे ही उसने बात करने के लिये मोबाईल निकाला, तभी घमापुर तरफ से एक्सिस में सवार व्यक्ति पहुंचा और झपट्टा मारकर उसका ओप्पो कंपनी का मोबाईल ले भागा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।